

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

पत्र संख्या:प-2145/2015/15531/lkw/lucknow/1719/cfo
सेवा में,

दिनांक: अक्टूबर 30, 2015

अधिकृत हस्ताक्षरी,

ओमेक्स लिमिटेड

गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:-

खसरा सं० ग्रुप हाउसिंग-7 सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में मैसर्स ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लि० द्वारा प्रस्तावित ईडब्लूएस/एलआईजी भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-15-10-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।
उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र का एन०बी०सी०-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीशीलन किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-।

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-11550.48 वर्गमीटर।

ईडब्लूएस-

क्रम सं०	ब्लॉक/टावर	भूतल(वर्गमी०)	प्रथम तल (वर्गमी०)	द्वितीय (वर्गमी०)	तल	तृतीय (वर्गमी०)	तल	चतुर्थ तल (वर्गमी०)	तल
1.	ब्लॉक-ए टावर-1	477.221	477.221	477.221		477.221		477.221	
2.	ब्लॉक-बी टावर-1	587.276	587.276	587.276		587.276		587.276	
3.	ब्लॉक-सी टावर-1	392.251	392.251	392.251		392.251		392.251	

एलआईजी-

		भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल	चतुर्थ तल	पंचम तल	षष्ठम तल
1.	ब्लॉक-डी	टावर-1	372.234	366.534	366.534	366.534	366.534	366.534
2.		टावर-2	372.234	366.534	366.534	366.534	366.534	366.534
3.		टावर-3	372.234	366.534	366.534	366.534	366.534	366.534
4.		टावर-4	372.234	366.534	366.534	366.534	366.534	366.534
5.	ब्लॉक-ई	टावर-1	372.234	366.534	366.534	366.534	366.534	366.534

2-भवन के ब्लॉक-ए,बी,सी की ऊँचाई-14.550 मीटर व ब्लॉक-डी,ई की ऊँचाई-20.850 मीटर है।
भवन का अधिभोग एवं हैजाई श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्डके सामने मानचित्र मे 45.00 मी० रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन के मानचित्र मे प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई-06.00 मी० है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है-

● अग्रभाग- 07.00 मीटर।

● पृष्ठभाग- 07.00 मीटर।

- पार्श्वभाग प्रथम- 07.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 07.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक उपरोक्त में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई-01.50 मी0 व 01.20 मी0 है तथा फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं तथा एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक के मध्य 06.00 मी0 दूरी प्राविधानित है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-आवश्यक नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-भूमिगत टैंक-आवश्यक नहीं है।

2-पम्प-आवश्यक नहीं है।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार है।

4-डाउनकमर-भवन के प्रत्येक टावर में डाउनकमर का प्राविधान किया गया है।

5-याई हाईड्रेण्ट्स-आवश्यक नहीं है।

6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

9-टेरिस टैंक-भवन के प्रत्येक टावर के टेरिस पर टेरिस टैंक-25000 ली0क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प-भवन के प्रत्येक टावर के टेरिस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है, जो मानको के अनुरूप है।

12-स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

13-प्रेसराईजेशन प्रणाली-आवश्यक नहीं है।

14-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

15-पी0ए0सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर खसरा सं0 गुप हाउसिंग-7 सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में मैसर्स ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लि0 द्वारा प्रस्तावित ईडब्लूएस/एलआईजी भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


2010 24V
(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि:-

1-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।